न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांक:– 108/2017

1. हरभजन पुत्र भूपसिंह (मृतक)
   1/1. सुखवीरी पत्नि हरभजन
   1/2. अशोक कुमार
   1/3. बलराम
   1/4. हरेन्द्र पुत्रान हरभजन समस्त जातियान जाट निवासीयान कुरका तह0 उच्चैन।
   1/5. मीना पुत्री हरभजन पत्नि रघुनाथ जाति जाट निवासी चक वल्टीकरी का नगला तह0 व जिला भरतपुर। ....वादीगण

बनाम

1. गुड्डा
2. उदयवीर
3. महावीर
4. राजेन्द्र
5. जग्गो पुत्रान विजयसिंह जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..............असल प्रतिवादीगण

6. सुजानसिंह
7. सूरजसिंह
8. प्रेमसिंह
9. दामोदर पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..............तरतीवी प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति:–

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट
2. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांक:–18.05.2026**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 851 रकवा 0.08 विस्वा बाके ग्राम कुरका तहसील रूपवास हाल उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी के वादीगण एवं तरतीवी प्रतीवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी गांव की आबादी के नजदीक तथा लिंक रोड कुरका से सोनोठी को जाता है के सहारे स्थित है विवादित आराजी का उपयोग व उपभोग निर्विवाद रूप से वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण करते चले आ रहे है अब तक उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति का किसी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकार से सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार से नहीं रहा है। विवादित आराजी के तरफ दक्षिण प्रतिवादीगण असल की आराजी स्थित है। प्रतिवादीगण अपनी आराजी की आड में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी को हडपना चाहते है। प्रतिवादीगण असल को ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है लेकिन असल प्रतिवादीगण लठैत व पैसे की ताकत वाले एवं राजनैतिक पहूंच वाले व्यक्ति है जबकि वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण कमजोर एवं गरीब व्यक्ति है जो कि प्रतिवादीगण असल का मुकाबला करने में कतई अक्षम है। जिसका फायदा उठाते हुये असल प्रतिवादीगण दिनांक 19.09.2017 को विवादित आराजी के सम्पूर्ण भाग को अपनी आराजी में मिलाकर एक प्लाट बनाकर काफी तादाद में मजदूर लगाकर नींव खोदकर पक्का निर्माण कर रहे है। वादीगण ने असल प्रतिवादीगण से विवादित आराजी में नींव खोदकर पक्का निर्माण करने से मना किया तो असल प्रतिवादीगण ने वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हक हकूकों को मानने से इन्कार कर दिया इसके कारण वादी ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है एवं वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को असल प्रतिवादीगण से विवादित आराजी का कब्जा वापिस दिलाया जावे तथा उनके द्वारा किये गये पक्के निर्माण को उनके खर्चे पर हटबाया जावे एवं प्रतिवादीगण असल को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असल ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी अरसा करीब पचास साल पूर्व हम प्रति0 असल के पिता द्वारा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण व उनके पिता से खरीद कर वैध रूप से अपने कब्जे में ली गई आराजी है, उक्त आराजी का वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर चुके है तथा उसी समय विवादित आराजी का कब्जा असल प्रति0 को भली प्रकार सौंप चुके है, परन्तु आपसी मेल मिलाप की वजह से अब तक विवादित आराजी का वयनामा हम प्रतिवादीगण के हक में सम्पादित नहीं हो पाया है और इस कारण विवादित आराजी की खातेदारी हम प्रतिवादी असल के नाम दर्ज नहीं हो पायी है। उक्त आराजी पर हम प्रति0 असल अपने पिता के जमाने से आज तक लगातार वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर अपनी काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में हो रहा वर्तमान खातेदारी इन्द्राज वर खिलाफ मौका व कानून है। अब बढती हुयी जमीन की कीमतों एवं आराजी के सहारे लगे रास्ता आम पर रोड बन जाने और गांव की आबादी बढ जाने पर इस आराजी की स्थिति आबादी के नजदीक आ जाने की बजह से वादी की नीयत में बेईमानी आ गई है जिसने विवादित आराजी बावत् अपने व अपने भाईयों के नाम उक्तानुसार गलत दर्ज चली आ रही खातेदारी इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने हेतु हम प्रति0 असल के खिलाफ यह वादपत्र कपटपूर्वक पेश किया है जो काबिल खारिजी है।

विवादित आराजी पर असल प्रतिवादीगण का कब्जा गत पचासों सालों से बेरोकटोक चला आ रहा है एवं विवादित आराजी पर काबिज होकर अपनी काश्त करते चले आ रहे है जिसका वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण ने पहले कभी विरोध नहीं किया है और असल प्रतिवादीगण को लम्बे समय से कब्जे व प्रतिकूल कब्जे के कारण भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही विवादित आराजी बाबत् खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

दावा दायरी के अन्दर 12 साल वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः वादी मौका व कानून के खिलाफ दर्ज खातेदारी के आधार पर कब्जा वापिस पाने के अधिकारी नहीं है और न जरिये मेन्डेटरी इन्जक्शन हम प्रति0 असल के पुख्ता निर्माण को हटवाये जाने का अधिकारी है। एवं वक्त दावा दायरी विवादित आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त न होने के कारण हम असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधज्ञा की दादरसी पाने के अधिकारी नहीं है।

तरतीवी प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 03.06.2024 को तरतीवी प्रतिवादीगण का जबाव बंद किया गया। दावा एवं जबाव दावा प्रतिवादी असल के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. आया विवादित आराजी का उपयोग व उपभोग निर्विवाद रूप से वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण करते चले आ रहे है एवं उक्त विवादित आराजी से किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। ....वादी
2. आया दिनांक 19.09.2017 को विवादित आराजी के सम्पूर्ण भाग को असल प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी में मिलाकर नींव भरकर पुख्ता निर्माण चालू कर दिया। ....वादी
3. आया उक्त विवादित आराजी असल प्रति0 के पिता द्वारा करीब पचास साल पूर्व खरीद कर कब्जे में ली गई जिस पर असल प्रतिवादी अपने पिता के जमाने से ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ....प्रतिवादीगण
4. आया दावा दायरी के अन्दर 12 साल वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है अतः वादी मौका व कानून के खिलाफ दर्ज खातेदारी के आधार पर कब्जा वापिस पाने का अधिकारी नहीं है। ....प्रतिवादीगण
5. अनुतोष।

वादी ने वाद के समर्थन में ग्राम कुरका की सम्बत् 2070–2073 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1 प्रस्तुत की मौखिक साक्ष्य पी डब्लू–1 अशोक कुमार, पी डब्लू–2 पवन कुमार के करवाये।

प्रतिवादीगण ने उक्त वादपत्र में कोई दस्ताबेज पेश नहीं किये मौखिक साक्ष्य डी. डब्लू–1 गुड्डा उर्फ रमेश व डी डब्लू–2 सुरेन्द्र सिंह के करवाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं जबाव दावा, शपथ पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कानूनी प्राबधानों के परिप्रेक्ष्य में समुचित विवेचन के पश्चात गुणावगुण पर निम्न प्रकार से तनकीयात का निर्णय किया जाता है–

<u>तनकी नम्बर–1</u>:– अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी वादपत्र में विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त के संबंध में अभिभाषक वादी द्वारा जमाबंदी सबंत् 2070–2073 का अवलोकन करबाया गया। अभिभाषक वादी ने कथन किया कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर अवैध रूप से वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी पर कब्जा कर लिया है। वादी ने उक्त

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

वाद पत्र प्रतिवादीगण असल से विवादित आराजी पर कब्जा बापस दिलाये जाने एवं असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। चुंकि उक्त आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चला आ रहा है उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण असल का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी भी हैसियत से नहीं है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाकर वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक प्रतिवादी असल ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादी के पिता ने प्रतिवादीगण असल के पिता को बेच दी थी एवं उसी समय उक्त विवादित आराजी का कब्जा सम्हला दिया था परन्तु भाईचारे में उक्त आराजी विवादित का कोई विक्रय पत्र नहीं लिखा गया था। उक्त विवादित आराजी के तीनों तरफ प्रतिवादीगण असल की आराजी स्थित है एवं उक्त आराजी बीच की छोटी पट्टी होने से उक्त आराजी की सेल डीड नहीं हुई थी। उक्त आराजी में निमार्ण के दौरान वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया था उक्त आराजी पर निर्माण में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति थी। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का लगभग 40 वर्षो से कब्जा काश्त नहीं है जबकि कब्जा वापिसी का अनुतोष 12 वर्ष के अन्दर ही दिया जा सकता है। वादपत्र वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2070–2073 का अवलोकन किया गया उक्त विवादित आराजी में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी की खरीद से संबंधित कोई भी दस्ताबेज या साक्ष्य उक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। ना ही प्रतिवादीगण असल के द्वारा उक्त आराजी की खरीद के एवज में पैसों के लेनदेन एवं साहूकारी से संबंधित कोई दस्ताबेज पेश किया है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार दर्ज है एवं प्रतिवादीगण असल के द्वारा उक्त आराजी विवादित पर खातेदारी के संबंध में कोई दस्ताबेज प्रस्तुत नहीं किया है स्पष्टतः उक्त आराजी विवादित से प्रतिवादीगण असल का कोई संबंध सरोकार साबित नहीं होता है। उक्त तनकीयात वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–2</u>:– अभिभाषक वादी ने कथन किया कि प्रतिवादीगण असल ने वादी की गरीबी का फायदा उठाकर आराजी विवादित पर नींब खोदकर पक्का निर्माण शुरू कर दिया था जिसकी शिकायत वादी द्वारा पुलिस थाना में की गई थी एवं निर्माण के दौरान पुलिस विवादित स्थल पर पुलिस आई थी। इसके संबंध में अभिभाषक वादी द्वारा जिरह गवाह प्रतिवादी डी. डब्लू–1 गुड्डा उर्फ रमेश का अवलोकन कराया।

अभिभाषक प्रतिवादीगण असल के द्वारा कथन किया गया कि चुंकि उक्त आराजी विवादित वादी के पिता ने प्रतिवादीगण असल के पिता को बेचान की थी इसलिए निर्माण के दौरान

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

वादीगण द्वारा कोई असहमति जाहिर नहीं की थी एवं उक्त आराजी पर निमार्ण में वादीगण की मौन स्वीकृति थी।

पत्रावली के साथ संलग्न जिरह गवाह प्रतिवादीगण असल डी. डब्लू–1 गुड्डा उर्फ रमेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर निर्माण के दौरान वादी के परिवार जन के द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी जिसके कारण मौके पर पुलिस आई थी। स्पष्टतः विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण असल के द्वारा नींब खोदकर निर्माण कार्य कराया गया था। उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–3ः–</u> उक्त विवादित आराजी की खरीद के संबंध में प्रतिवादीगण असल के द्वारा कोई भी दस्ताबेजी साक्ष्य उक्त पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये,है। दस्ताबेजी साक्ष्य के अभाव में उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–4ः–</u> तनकी नम्बर 1,2,3 के अनुसरण में उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण असल के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सभी तनकीयात का निर्णय प्रथक–प्रथक किया जा चुका है। उक्त वादपत्र में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से प्रतिवादीगण असल से कब्जा वापिस दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण असल के द्वारा विवादित आराजी पर किये गये पुख्ता निर्माण को प्रतिवादीगण असल के खर्चे पर हटबाये जाने एवं प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद पत्र, वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण असल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण असल को विवादित आराजी खसरा नम्बर 851 रकवा 0.08 विस्वा बाके ग्राम कुरका तहसील रूपवास हाल उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2070–2073) को बेदखल कर कब्जा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को दिलाया जाबे एवं विवादित आराजी में प्रतिवादीगण असल के द्वारा किये गये पुख्ता निर्माण को प्रतिववादीगण असल के खर्चे पर हटवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन,भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत ......सहायक कलेक्टर...... मुकाम......उज्जैन......

व इजलास......श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (I.A.S.)......

......हरभजन...... बनाम ......गुड्डा वगैरह......

दावा बाबत् ......अन्तर्गत धारा 183, 188 RTA......

मुकदमा नं. ......108/2017...... सन्......

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू......हमारे......

व हाजरी......श्री मुकेश चन्द्र शर्मा एड.......मिनजानिब ......

......श्री उमेशचंद्र शर्मा एड.......मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि ......वादपत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण आशत डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उज्जैन को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण आशत को विवादित आराजी सर्वे नं. 851 रकबा 0.08 बिस्वा ... ग्राम ... तहसील ... उज्जैन (खसरा पंचसाला संवत 2070-2073) को बेदखल कर कब्जा वादी ... प्रतिवादीगण ... दिलाया जावे एवं विवादित आराजी के प्रति० असल द्वारा किये गये पुख्ता निर्माण को प्रति० असल के खर्च पर हटवाया जावे

आज...... मुबलिग...... बाबत्......

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख......18...... माह......05...... वर्ष......2026...... को जारी की गई।

दस्तखत...... सहायक कलेक्टर

मुहर

ओहदा...... उज्जैन

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर..........		
महनताना वकील	)पर..........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 108/2017

1. हरभजन पुत्र भूपसिंह (मृतक)

   1/1. सुखवीरी पत्नि हरभजन

   1/2. अशोक कुमार

   1/3. बलराम

   1/4. हरेन्द्र पुत्रान हरभजन समस्त जातियान जाट निवासीयान कुरका तह0 उच्चैन।

   1/5. मीना पुत्री हरभजन पत्नि रघुनाथ जाति जाट निवासी चक वल्टीकरी का नगला तह0 व जिला भरतपुर।

................वादीगण

बनाम

1. गुड्डा
2. उदयवीर
3. महावीर
4. राजेन्द्र
5. जग्गो पुत्रान विजयसिंह जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

...............असल प्रतिवादीगण

6. सुजानसिंह
7. सूरजसिंह
8. प्रेमसिंह
9. दामोदर पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

...............तरतीवी प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183,188 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)